

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व अहकाम व हुकम की में जारी
२-11-55	<p>वकील उभयपक्ष उपस्थित है। गै० सा० नं० 1, 2 तथा गै० सा० नं० 3, 4, 5 की ओर से जबाब पेश हुआ। वकील उभयपक्ष को सुना गया। मूल दावा भूमि विभाजन का है। सायल व गौरसायल सं०। भूमि के स्वामेदार का मतकार है। पक्षकारों के वकील बहस के दौरान इस बात पर सहमत है कि दोनों ही पक्ष मूल दावे के निर्णय होने तक भूमि ख० नं० 46 रकबा 30 एयर ग्राम अलीगंज की मौका व रेकार्ड की स्थिति यथावत बनाने रखेंगे तथा इसी प्रकार ग.उ. प्रा० पत्र का निर्णय किर जाने का निवेदन किया।</p> <p>अतः वादग्रस्त भूमि ख० नं० 46 रकबा 30 एयर ग्राम अलीगंज की मौका एवं रेकार्ड की स्थिति यथावत बनाने रखने हेतु उभयपक्षकारों को मूल वाद के निर्णय तक अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है।</p> <p>पत्रावली फैसल शुमार दोकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे।</p>	

  
 उप जिला कलेक्टर  
 गंगापुर सिटी